प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02136/2021-2022

दिनांक 01/09/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/LUC/07355/2021-2022 पत्रावली संख्या:I-180364 दिनांक:2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान, म0 नं0-जी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ, लखनऊ, 226022 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1264 दिनांक-29/08/2016 को दिनांक-29/08/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE
Date: 01/09/2021 4:19:15 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-01/09/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
जी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

प्रमाणपत्र कमांक 094934

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

दिनांक 29.08.2016

संख्या 6671

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या पत्रावली संख्या दिनांक

2016-2017

1264 1–180364

एत्तद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि * हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा .... को आज

संस्थान, म0नं0–सी–5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र .... तक विधि मान्य होगा ।

28-08-2021

आज दिनांक .... दो हजार .... को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

29-08 16

सोसाइटी के रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश

*सोसाइटी का नाम, पता

President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shahid Path
Lucknow

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

self attested

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सो0 फार्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1373)–2,00,000 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

स्मृति पत्र

1--संस्था का नाम : हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
2--संस्था का पता : म0नं0 सी--5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी,शहीद पथ,लखनऊ।
3--संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
4--संस्था के उद्‌देश्य--

1. बालक बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानको के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना संस्था के अर्न्तगत किसान पब्लिक स्कूल को गठित करना।

पल्स पोलियो ड्राप,एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हैपेटाइटिस,मधुमेह,नशामुक्ति,कुष्ठ रोग मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जांच कर उसकी रोकथाम के उपाय करना तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन कर उनका उन्मूलन करना।

3. महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ब्यूटीशियन कोर्स, हस्तशिल्पकला, ललित कला, संगीत गायन, वादन, फैशान डिजाईनिंग, चिकन प्रिन्टिंग, जरी ज्वैलरी मेकिंग, मेंहदी, वाल पेन्टिंग, मिट्‌टी के बर्तन,फलावर मेकिंग, अचार,मुरब्बा,फल संरक्षण खादी तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना तथा हस्तशिल्पियों के विकास एवं उत्थान एवं पुर्नवास की समुचित व्यवस्था करना।

4. अनु0जाति,जनजाति,कमजोर वर्ग एवं पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/ महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थाओं जैसे-- कम्प्यूटर शिक्षा,व्यवसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्रो की निःशुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा बेरोजगार बालक बालिकाओं के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

5. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,महिला कल्याण विभाग/निगम हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, सिडवी,सिफसा,अल्पसंख्यक विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग,ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग,मद्य निषेध,सांस्कृतिक विभाग,प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय,बागवानी बोर्ड,यूनीसेफ विकलांग विभाग एवं महिला कोष ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण मंत्रालय,परिवार कल्याण मंत्रालय,राष्ट्रीय कौशल विकास निगम,नेशनल बुक विभाग, वन विभाग, सी0एस0आर0 (कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलिटी) व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कार्य करना।

6. समाज के मूक,बधिर,नेत्रहीन,विकलांग लोगों के शैक्षिक बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थायें खोलना तथा योग्यतानुसार शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

मेधावी छात्रों के लिए मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Self certified

President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shahid Path
Lucknow

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

8. विधवा निराश्रित,प्रताड़ित,पीड़ित,असहाय,परित्यक्ता तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के बच्चे–बच्चियों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

9. सामाजिक कुरीतियों जैसे–दहेज प्रथा,मद्यपान,महिला उत्पीड़न,घरेलू हिंसा, अस्पृश्यता निवारण,धूम्रपान आदि के निवारणार्थ विचार गोष्ठियों/शिविरों के माध्यम से जनहित में प्रचार प्रसार करना तथा किसी जाति धर्म एवं ऊँच नीच की भावनाओं को दूर करना एवं पीड़ितों की मदद करना, गरीब लड़के/लड़कियों की बिना दहेज के शादी करवाना।

10. ग्रामीण स्वच्छता,शुद्ध पेयजल,ग्रामीण विकास,ग्रामीण अंचलों में जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा हैण्डपम्प नाली सम्पर्क मार्ग, खडजा आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना।

11. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,उ0प्र0 अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग,कमीशन जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग कुटीर उद्योगों रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।

12. अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम वर्ग) के बालक बालिकाओं के लिए मदरसा की व्यवस्था कर संचालित करना तथा हिन्दी,उर्दू,फारसी,अरबी,अँग्रेजी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना।

13. आवासीय विद्यालय,अनावासीय विद्यालय,अल्पसंख्यक विद्यालय,मिड डे स्कूल, महिला श्रमजीवी आवास एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना।

14. बालबाडी,आंगनबाड़ी,पालनाघर,कैच,शिशु रक्षा केन्द,बाल आश्रम,अनाथालय विधवा आश्रम,वृद्धाश्रम एवं बाल सम्प्रेषण गृह केन्द्र की व्यवस्था करना तथा बच्चों के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराना।

15. रक्तदान,नेत्र चिकित्सा,दन्त चिकित्सा,नेत्रदान,देहदान परिवार नियोजन,दुर्घटना पीड़ितो के उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना।

16. संस्था के माध्यम से मोबाइल डिस्पेन्सरी कैम्प,स्वास्थ्य कैम्प समय–समय पर निःशुल्क चिकित्सा,रक्तदान शिविर निर्धन, निराश्रित,पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना।

17. आर0सी0एच0 बाल प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

18. ज्ञानवर्धन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय की स्थापना करना तथा छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता,मनोरंजन एवं शहरी एवं ग्रामीण पर्यटन और पर्यटन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

19. आकस्मिक आपदा,जैसे महामारी,सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि, तूफान भूकम्प,सड़क दुर्घटना एवं सड़क सुरक्षा आदि के समय सम्बंधित पीड़िता की हरसम्भव सहायता करना।

20. कमजोर,उपेक्षित,दलितों,पिछड़ो के उत्थान हेतु विकास कार्य एवं बाल श्रम कानून का समर्थन करते हुए बाल श्रम विद्यालय की स्थापना कर संचालित करना एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन बच्चों को संरक्षण देते हुए बौद्धिक विकास हेतु यथासम्भव प्रयास करना।

21. वायु,जल व ध्वनि प्रदूषण,पर्यावरण संरक्षण,प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रदूषण की रोकथाम के कार्य करना तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

सत्य प्रतिलिपि

President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shaheed Path
Lucknow

सचिव
हाइजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Self Certified

अध्यक्ष
हाइजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

5— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम,पते,पद तथा व्यवसाय जिनको समिति के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:—

क्रम	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	ईशान राज पुत्र श्री राजकुमार विश्वकर्मा	(1) ए–32 / सेक्टर–61 नोयडा (Temporary) (2) सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी शहीद पथ, लखनऊ	अध्यक्ष	अध्ययन
2	मालती विश्वकर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा	70, विशेषरपुर, प्राइमरी विद्यालय के सामने सदर,दो चांदपुर,जौनपुर, उत्तर प्रदेश–222161	सचिव	अध्यापिका
3	अंकिता राज पुत्री श्री राज कुमार विश्वकर्मा	ए–32 / सेक्टर–61 नोयडा	कोषाध्यक्ष	अध्यापिका
4	प्रियंका विश्वकर्मा पत्नी श्री ज्ञानेश्वर विश्वकर्मा	108,खैरुद्दीनगंज,पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण भवन के पास, खैरुद्दीनगंज,मरिआहू, जौनपुर उत्तर प्रदेश–222161	सदस्य	ग्रहणी
5	निर्मला विश्वकर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	108,खैरुद्दिगंज,मरिआहू,जौनपुर,उत्तर प्रदेश–222161	सदस्य	ग्रहणी
6	सन्ध्या विश्वकर्मा पत्नी श्री प्रदीप विश्वकर्मा	2,स्थापत्य बंगलो, पंचवटी खोल, गाँधीनगर	सदस्य	ग्रहणी
7	सर्वेश्वर विश्वकर्मा पुत्र श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	108,खैरुद्दीनगंज, मरियाहू, मरिआहू, जौनपुर, उत्तर प्रदेश–222161	सदस्य	

Nirmala Vishwakarma

6— हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृतिपत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

हस्ताक्षर—

1 Ishan raj

2 Malti Vishwakarma

3 [illegible]

4 Priyanka Vishwakarma

5 Nirmala Vishwakarma

6 Sandhya V.

7 Sarveshwar

Ishan raj

President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shahid Path
Lucknow

सत्य प्रतिलिपि
सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

Ishan raj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

Self Certified

Ishan raj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

नियमावली

1--संस्था का नाम : हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान [HEISENBERG EDUCATIONAL SERVICE SOCIETY

2--संस्था का पता : म0नं0 सी--5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी,शहीद पथ,लखनऊ

3--संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0।

4--संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग--

आजीवन सदस्य--

जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000/-- रूपये नगद या उतने ही मूल्य का चल अचल सम्पति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य--

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/-- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5--सदस्यता की समाप्ति--

1--मृत्यु हो जाने पर।
2--पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3--लगातार 3 बैठको में अनुपस्थित होने पर।
4--नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
5--किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6--संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
7--अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र देने पर।

6--संस्था के अंग--

1--साधारण सभा।
2--प्रबन्धकारिणी समिति।

7--साधारण सभा--

गठन-- संस्था के आजीवन तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें-- संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि--

संस्था की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति-- साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि --

साधारण सभा की सामांन्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की बहुमत से तय की जायेगी।

अध्यक्ष
हाईज़ेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

President
Heisenberg Education Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shahid Path
Lucknow

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Self Certified

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

कार्यकाल — प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य —

अध्यक्ष —

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।
4. बिलों का भुगतान करना।
5. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
8. राजकीय सहायता तथा ऋण, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना।
9. समस्त बिल,वाऊचर,ऋणपत्र,मांगपत्र,चैक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।
10. संस्था की चल अचल समिति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
11. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति तथा निष्कासन करना।
12. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना।
13. संस्था की ओर से संस्था के कार्य के लिए जमीन को लीज–डीड पर लेना।

सचिव —

1. अध्यक्ष द्वारा सौपें गये समस्त कार्य।
2. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
4. राजकीय सहायता तथा ,ऋण, अनुदान,चंदा प्राप्त करना।
5. संस्था की ओर से संस्था के कार्य के लिए जमीन को लीज–डीड पर लेना।

कोषाध्यक्ष —

1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान, अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
3. संस्था के हित में पूर्ण सहयोग करना।

10— संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया —

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

Ishan raj
Malti Vishwakarma
Priyanka Vishwakarma
Nirmala Vishwakarma
Sulhya V.

अध्यक्ष
हाईजेनवर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, गुजरात गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

हाईजेनवर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, गुजरात गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

11– संस्था का कोष –

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक स्थानीय बैंक, शेडयूल्ड बैंक या डाकघर में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा तथा खाते का संचालन अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12– संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा परीक्षण –

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13– संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14– संस्था के अभिलेख –

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैशबुक, लेजर आदि।

15– संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :

– सत्य प्रतिलिपि –

हस्ताक्षर–

1. Ishwar raj
2. Malti Vishw
3. [illegible]
4. Priyanka V
5. Nirmala Vish
6. Sandhya V
7. [illegible]

Ishwar raj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी– 5/71, सुशान्त, गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

Self certified

Ishwar raj
President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City, Shahid Path
Lucknow

सत्य प्रतिलिपि
Ishwar raj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी– 5/71, सुशान्त, गोल्फ सिटी

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

आज दिनांक 14/09/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 3491

पृष्ठ सं. 369 से 398 पर कमांक 3720

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबन्धक (मड़ियाहूं)
जौनपुर
14/9/2016

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
लखनऊ

Self certified

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी-5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

President
Heisenberg Educational Service Society
C-5/71 Sushant Golf City,
Lucknow

Try. Form No. 385 (P)

RECEIPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT

(Form No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial Hand Book Volume V, Part I)

फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स

लखनऊ मण्डल, लखनऊ Receipt No. 451343

Place

Date

Department and Office

Received from

the sum of Rupees

on account of

Signature of Government Servant granting the receipt.

अध्यक्ष

हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान

सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

शहीद पथ, लखनऊ

भारत

INDIA NON JUDICIAL

यह जनरल स्टाम्प पेपर हाईजेनबर्ग शिक्षा सेवा संस्थान
जिला लखनऊ फाईल न० 180364
सूची वर्ष 2017-18 के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज ... लखनऊ मण्डल (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
15-06-17

अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षा सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

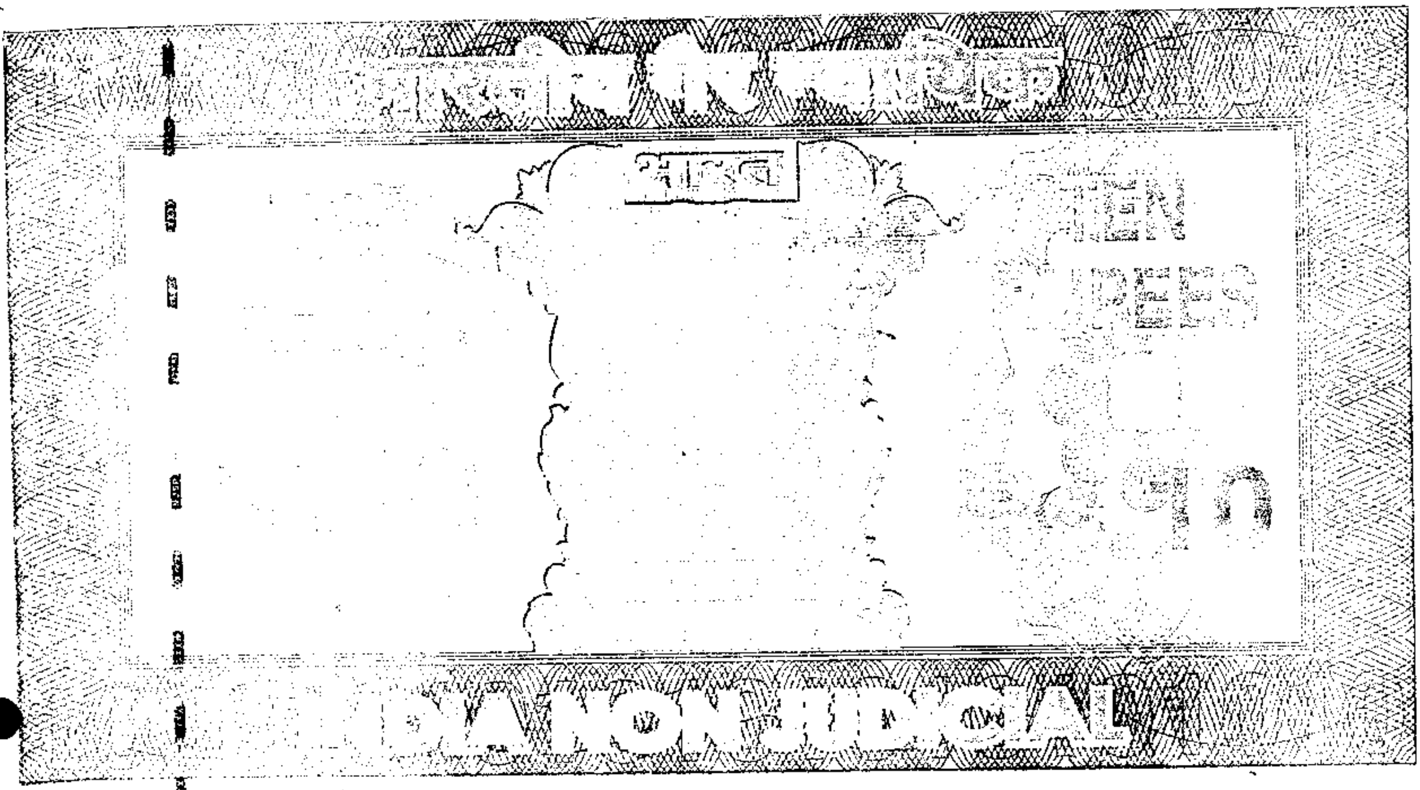

12AD 056?77

[illegible] हाईजेनबर्ग शिक्षण
सेवा संस्थान 1-180364
जिला लखनऊ .... फाईल नं० 1-180364
उपरोक्त नियमावली के द्वारा पंजीकृत है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, लखनऊ (उ०प्र०)

Ishan ...
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
15/01

हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान

पता–म0नं0–सी–5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी शहीद पथ, लखनऊ

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2017–2018

क्रम सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	ईशान राज पुत्र श्री राजकुमार विश्वकर्मा	अस्थाई पता–ए–32/सेक्टर–61, नोयडा स्थाई पता–सी–5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ	अध्यक्ष	अध्ययन
2	मालती विश्वकर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा	70, विशेषपुर, प्राइमरी विद्यालय के सामने सदर, दो चांदपुर, जौनपुर, उ0प्र0–222161	सचिव	अध्यापिका
3	अंकिता राज पुत्री श्री राज कुमार विश्वकर्मा	ए–32/सेक्टर–61, नोयडा	कोषाध्यक्ष	अध्यापिका
4.	प्रियंका विश्वकर्मा पत्नी श्री ज्ञानेश्वर विश्वकर्मा	108, खैरुद्दीनगंज, पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण भवन के पास, खैरुद्दीनगंज मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0–222161	सदस्य	गृहणी
5.	निर्मला विश्वकर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	108, खैरुद्दीगंज, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0–222161	सदस्य	गृहणी
6.	सन्ध्या विश्वकर्मा पत्नी श्री प्रदीप विश्वकर्मा	2, स्थापत्य बंगलो, पंचवटी खोल, गाँधीनगर	सदस्य	गृहणी
7.	सर्वेश्वर विश्वकर्मा पुत्र श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा	108, खैरुद्दीगंज, मरियाहू, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0प्र0–222161	सदस्य	नौकरी

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर:

1 Isha raj

2 Ankita

3 Priyanka Vishwakarma

4 Nirmala Vishwakarma

Isha raj

अध्यक्ष

हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान

सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

शहीद पथ, लखनऊ

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

15/06/17

:: संशोधित नियमावली ::

1. संस्था का नामः– हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान

2. संस्था का पताः– म0नं0–सी–5/71 सुशान्त गोल्फ सिटी शहीद पथ, लखनऊ

3. संस्था का कार्यक्षेत्रः– सम्पूर्ण उ0प्र0।

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः–

आजीवन सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एकमुश्त रूपया 1000/– नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 100/– वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा, संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
4. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
5. किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
7. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र देने पर।

6. संस्था के अंग–

अ– साधारण सभा।
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा –

गठन संस्था के आजीवन, सामान्य एवं विशिष्ट सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सूचना अवधिः–

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, सदस्यों को दी जायेगी।

हस्ताक्षरः–

1. Isharaj 2. Ankit 3. Priyanka Vishwakarma 4. Nirmala Vishwakarma

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Isharaj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ लखनऊ

गणपूर्ति:–

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्ध–कारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. नियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति का गठन–**

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें

अध्यक्ष	–	एक
सचिव	–	एक
कोषाध्यक्ष	–	एक
सदस्य	–	चार

होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी तथा आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।

बैठकें:–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

हस्ताक्षर:–

1. Ishanraj
2. ankita
3. Priyanka Vishwakarma
4. Nikmala Vishwakarma

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

Ishanraj
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

<u>सूचना अवधि</u>:-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व, सदस्यों को दी जायेगी।

<u>गणपूर्ति</u>:- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

<u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u>:-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य</u>:-

1. संस्था की उन्नति के लिए कार्य कराना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।,
3. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशीलव्यक्तियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया,आफसफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष,विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय उ0प्र0, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग उ0प्र0, शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश, केन्दीय/उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक विभाग/बोर्ड उ0प्र0, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउन्डेशन,पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, दिव्यांग कल्याण निदेशालय,उद्यान विभाग उ0प्र0, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, मत्स्य विभाग, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों से ऋण, दान, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
4. संस्था की शाखाओं एवं उच्च समितियों का गठन करना, उन पर नियंत्रण रखना।
5. संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

<u>कार्यकाल</u>:-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा।

हस्ताक्षर:- सत्य प्रतिलिपि

1. Ishany 2. anhile 3. Priyanka Vishwakarma 4. Nirmala Vishwakarma

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

Ishany
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
डी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी

9. **<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकरियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—</u>**

<u>अध्यक्ष</u> :—

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।
4. बिलों का भुगतान करना।
5. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यन्वित करना।
7. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
8. राजकीय सहायता तथा ऋण, अनुदान,चन्दा प्राप्त करना।
9. समस्त बिल, बाऊचर, ऋणपत्र, मांगपत्र, चैक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।
10. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
11. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति तथा निष्कासन करना।
12. संस्था की ओर से समस्त अदालती कर्यवाही का संचालन करना।
13. संस्था की ओर से संस्था के कार्य के लिए जमीन को लीज—डीड पर लेना।

<u>सचिव</u> :—

1. अध्यक्षत द्वारा सौपें गये समस्त कार्य।
2. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
4. राजकीय सहायता तथा, ऋण, अनुदान, चंदा प्राप्त करना।
5. संस्था की ओर से संस्था के कार्य के लिए जमीन को लीज—डीड पर लेना।

हस्ताक्षरः— सत्य प्रतिलिपि

1 Ishany वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
15/6/17

3 Priyanka Vishwakarma

4. Nirmala Vishwakarma

Ishany
अध्यक्ष
हाईजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

कोषाध्यक्षः-

1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
2 संस्था के हित में पूर्ण सहयोग करना।

10. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः-**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी।

11. **संस्था का कोषः-**

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या सिड्यूल्ड बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षणः-**

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः-**

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबंधक/सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. **संस्था के अभिलेखः-**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. एजेन्डा रजिस्टर
5. कैश बुक आदि

15. **संस्था के विघटन :**

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16. **अन्य नियम :** प्रतिबन्ध

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय के प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यममिक शिक्षा परिषद/बेसिक

दिनांकः- सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर

1. Isha 2. 3. Priyanka Vishwakarma 4. Nihmale Vishwakarma

अध्यक्ष
हाईजेनक्रम शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ

शिक्षा परिषद द्वार संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्ति होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेमनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

6. कर्मचारियों की सेवाशर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी ओदश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालच का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

उक्त प्रतिबन्ध क्र0सं0 1 से 8 तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

दिनांकः–

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर

1. Ishan raj 2. Ankita 3. Priyanka Vishwakarma 4. Nirmala Vishwakarma

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
15/5/

Ishan
अध्यक्ष
हाइजेनबर्ग शिक्षण सेवा संस्थान
सी- 5/71, सुशान्त गोल्फ सिटी
शहीद पथ, लखनऊ